तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो हु
	02(9)22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्टस उपस्थित आये। अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक निर्णय आदेश तहसीलदार मुण्डावर को पालनार्थ अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (R.A.S.)

अपील इन्तकाल संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2019	25.02.2022	02.09.2022

//उनवान//

1. रामसिंह
2. राजेन्द्र पुत्रान सूरजभान
3. संतरा देवी पुत्री सूरजभान
4. सुबेसिंह
5. दिलभर
6. रोहिताश्व
7. रामकिशन पुत्रान जयनारायण
8. विनोद पुत्री जयनारायण जातियान अहीर निवासीयान मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज।

:– अपीलान्ट

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2 मुकेश
3 अशोक
4 राजेश पुत्रान राधेश्याम जातियान ब्राह्मण निवासीयान मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
5 श्रीमान तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: रेस्पोडेन्ट

अपील– इन्तकाल सं0 311 दिनांक 25.09.1974 ग्रा0प0 जालावास जिसके द्वारा बयनामा के विपरीत हिस्से दर्ज किये मनसूख किये जाने बाबत आदेश।

उपस्थितिः– 1 श्री सुभाष चन्द शर्मा– वकील अपीलान्टान

निर्णय

दिनांक– 02.09.2022

आज यह अपील पत्रावली सुनाये जाने पेश हुई। वकील अपीलान्टान उपस्थित आये। अपीलान्ट की अपील का सारतः रहा कि आराजी खं0नं0 02/0.27 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर का 2/3 भाग अपीलान्ट सं0 01 ल0 08 के पिता ने जरिये रजिस्टर बयनामा दिनांक 31.05.1974 को खरीद की थी जिसका इन्तकाल सं0 311 भरते समय सहवन से हिस्से गलत दर्ज कर दिये व ग्राम पंचायत भी इन्तकाल निर्णित करते समय गौर नहीं किया जिसे 2/3 हिस्से का दर्ज कर निर्णित करना चाहिए था जबकि अपीलान्ट सं0 01 ल0 08 को 1/4, 1/4 भाग व रेस्पोडेन्ट सं0 02 ल0 04 के पिता के नाम 1/2 भाग गलत दर्ज कर दिया जो आज्ञा दिनांक 25.09.1974 ग्राम पंचायत जालावास काबिल निरस्त है का अंकन करते हुये इन्तकाल सं0 311 दिनांक 25.09.1974 को निरस्त कर पुनः इन्तकाल

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

2/3 अपीलान्ट व 1/3 रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड कराई गई। बाद विधिवत तलबी रेस्पोडेन्टान 01 ला0 05 अनुपस्थित रहे।

अपीलान्टान ने अपनी अपील की ताईद में बयनामा दिनांक 31.05.1974 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल सं0 311 एवं नकल जमाबन्दी सम्मत 2072–2075 पेश की है जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्टान द्वारा उक्त अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है। उक्त प्रार्थनापत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया जिसे स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार की जा चुकी है। अपील पर भी सुना गया एवं अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक यह न्यायालय अपीलान्टान की अपील को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलान्टान की अपील को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में अपील स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल सं0 311 दिनांक 25.09.1974 वाके ग्राम मनेठी ग्राम पंचायत जालावास को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं मुताबिक बयनामा दिनांक 31.05. 1974 के अनुसार उभपक्षकारान की बाद विधिवत सुनवाई निर्णित किया जाकर पुनः इन्तकाल दर्ज कर, स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को पत्रावली रिमान्ड की जाती है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

02-09-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी,
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

१५/४/२२ पक्ष आज उपस्थित है। प्रकरण
मुलाहिजा पत्रावली वास्ते दि० 23/4/22
को पेश हो। इतना लिखते दी जाये।

हुक्म		जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी ने उक्त पत्रावली का दफा 5 अधिनियम के बाबत का देने का निवेदन किया। कानून मियाद साथ ही विस्तारित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र पर वकील तार्किक । अपीलार्थी को सुना गया एवं स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पत्रावली में शामिल है। उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	